

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर
(जिला - जोधपुर)

पीठासीन अधिकारी :- श्री भवानी सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 32/2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2025/57

प्रार्थीगण

- मेहताबसिंह लालस पुत्र खेमसिंह लालस निवासी महावीर नगर पावटा सी मार्ग, जोधपुर
बनाम

अप्रार्थीगण

- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम वास्ते रेकॉर्ड दुरस्ती

अधिवक्तागण :-

- प्रार्थी स्वयं उपस्थित।
- अप्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित।

-:: निर्णय ::-

दिनांक:- 11/03/2025

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम का पेश किया था जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है:-

प्रार्थी के पिता के नाम से राजस्व ग्राम तोलेसर चारणा, पटवार हल्का कोनरी, तहसील बालेसर जिला जोधपुर मे खेत खसरा नम्बर 196 रकबा 2.1367 हैक्टेयर आया हुआ है जिसमे प्रार्थी के पिता का नाम खिवसिंह पुत्र मनोहरसिंह दर्ज है जबकि प्रार्थी के पिता के अन्य समस्त दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, इत्यादि मे प्रार्थी के पिता का नाम खेमसिंह पुत्र मनोहरसिंह दर्ज हैं। राजस्व ग्राम तोलेसर पुरोहितान के खाता नम्बर 31 मे दर्ज अन्य खसरो के राजस्व रेकॉर्ड मे प्रार्थी के पिता का खेमसिंह पुत्र मनोहरसिंह दर्ज है। प्रार्थी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी मे अपने पिता का नाम खीवसिंह पुत्र मनोहरसिंह के स्थान पर खेमसिंह लालस पुत्र मनोहरसिंह दर्ज करवाने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी से जवाब तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिससे शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब मे प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी मे प्रार्थी के पिता का नाम खीवसिंह पुत्र मनोहरसिंह के स्थान पर खेमसिंह लालस पुत्र मनोहरसिंह दर्ज करने की अनुशंसा की गई है।



उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर

प्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अप्रार्थी के जवाब पर मनन किया। अतः पत्रावली में उपलब्ध विभिन्न दस्तावेजों, अप्रार्थी का जवाब के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी राजस्व ग्राम तोलेसर चारणा, पटवार हल्का कोनरी, तहसील बालेसर जिला जोधपुर में खेत खसरा नम्बर 196 रकबा 2.1367 हैक्टेयर के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम खिंवसिंह पुत्र मनोहरसिंह के स्थान पर खेमसिंह लालस पुत्र मनोहरसिंह नाम शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार उक्तानुसार उक्त खसरों में नाम शुद्ध करने की कार्यवाही करें शेष खाता बदस्तुर रहेगा। आदेश की प्रति तहसीलदार को प्रेषित होकर पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करे।

फ़ैसला आज दिनांक 11/03/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।



(भवानी सिंह)
तहसील अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर